



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :-01/यो0ब0-13/2016-755 दिनांक:-14/6/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली पुनर्नामित "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत पंचायत भवनों में गैबियन वृक्षारोपण, स्कूल कॉलेजो एवं सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन वृक्षारोपण, लम्बे पौधों का वृक्षारोपण एवं लौह गैबियन वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल ₹0 59.301 लाख (उनसठ लाख तीस हजार एक सौ रूपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्रांक-725 दिनांक-12.06.2018।

महाशय,

दिनांक-07.06.2018 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के साथ दीपाटोली contonment क्षेत्र में देखा गया कि राँची वन प्रमंडल द्वारा लगाए गए अधिकांश बाँस गैबियन टूटे हुए हैं। स्वीकृत योजना में चतुर्थ वर्ष तक बाँस गैबियन की मरम्मत का प्रावधान किया गया है। साहेबगंज वन प्रमंडल में मेरे पूर्व के भ्रमण के दौरान भी बाँस गैबियन एवं पौधों की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी गई थी, जो इस योजना की सफलता को प्रभावित करेगी। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा उप-आवंटित राशि के व्यय के पूर्व सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आवंटन से जुड़े सभी स्थलों पर बाँस गैबियन की मरम्मत कर ली गई है, उसमें लगाए गए पौधे स्थापित हो चुके हैं एवं कमजोर पौधों/मृत पौधों को 7 फीट ऊँचाई के छतवन, कटहल, महोगनी, करंज आदि सदाबहार पौधों से बदलाव कर दिया गया है।


विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-13/2016-755 दिनांक-14/6/18

प्रतिलिपि - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। गैबियन वृक्षारोपण के अन्य स्थलों पर भी गैबियन टूटे होने की सम्भवना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ये आवश्यक है कि संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भी स्थल भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए, कि निर्धारित कार्य कराने के पश्चात् ही राशि व्यय की गई है। पौधों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए, कृपया निम्न प्रपत्र में सूचना 15.07.2018 तक भेजी जाए :-

| प्रमंडल का नाम | योजना का वर्ष एवं सम्पोषण वर्ष | रोपित पौधों की संख्या | जीवित पौधों की संख्या | पौधों की ऊँचाई | गैबियन की स्थिति |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | | | | | |


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।